णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबड़ौद
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां
प्रकरण संख्या :– 17/2015 दावा
दायरा दिनांक :– 01.04.2015
निर्णय दिनांक :– 13.7.2017

उनवान

श्यामलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी निवासी हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 13.7.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद मे स्थित आराजी खसरा नंबर 133 रकबा 3.18 बीघा स्थित है। उक्त आराजी पर पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से निरन्तर बिना किसी व्यवधान के वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त होने से राज्य सरकार द्वारा उक्त आराजी की वादी के गैर खातेदारी मे दर्ज कर दी। उक्त वर्णित आराजी मे से 2 बीघा भूमि को वर्ष 1975 मे गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करा दी, तथा शेष आराजी रकबा 1.18 बीघा पर वादी का आज तक बिना किसी व्यवधान के बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त शेष आराजी रकबा 1.18 बीघा मे से 1.10 बीघा पर वादी ने 2 दुकाने व कच्चा मकान बनाया है, जिसमे वादी मय परिवार के निवास करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार छीपाबडौद ने वादी के नाम आंवटित भूमि खसरा नंबर 133 रकबा 1.18 बीघा का आंवटन निरस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां के यहा प्रार्थना–पत्र भू–आंवटन नियम 1970 उपनियम 14 (4) के तहत् प्रस्तुत किया था, तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां से वादी के नाम आंवटित भूमि का आंवटन निरस्त कराने की याचिका की थी, जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां द्वारा दिनांक 14.10.2010 को तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज करते हुये यह निर्णय पारित किया कि वादी द्वारा आंवटन की शर्तो का उल्लघंन नही किया है। वादी उक्त आराजी खसरा नबर 133 रकबा 1.18 बीघा को अपने खातेदारी मे दर्ज कराने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 03.03.2015 को उक्त वर्णित आराजी खसर नंबर 133 मे से 1.18 बीघा भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने का निवेदन किया, त उन्होने वादी के निवेदन पर कतई ध्यान नही दिया। वादी विवादित आराजी खसरा नंबर 133 रकब 1.18 बीघा पर पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से निरन्तर काबिज काश्त होने से वादी को उक्त

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। इसलिए वादी उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित कराने का कानूनी अधिकारी है। विवादित आराजी के भूमिधारी राज्य सरकार होने से उन्हे जर्ये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां के रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी मियाद 2 माह दिनांक 03.03.2015 को प्रेषित करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक विवादित आराजी म० पक्ष के खातेदारी मे दर्ज नही की और वाद की अर्जेन्सी के दृष्टिगत उक्त वाद नोटिस अवधि समाप्ति से पूर्व ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी ने अपने जवाब मे बताया कि विवादित भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड गैर मुमकिन खाल सिवाय चक दर्ज है। विवादित भूमि प्रतिबन्धित भूमि होने से खातेदारी योग्य नही है। वादी का वाद निरस्त करने का निवेदन किया है। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम हरनावदा जागीर सम्वत् 2071–76 खाता संख्या 1, नकल निर्णय माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारा के प्रकरण संख्या 1/2008 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद बनाम श्यामलाल पुत्र कान्हा जाति काछी निवासी छीपाबडौद प्रार्थना–पत्र भू–आंवटन नियम 1970 उपनियम 14 (4) निर्णय दिनांक 14.10.2010 पेश की गई। नकल सनद 27 01.1999 पेश की गई। नकल आंवटन आदेश दिनांक 27.01.1999 पेश किया गया। साक्ष्य वादी म पी डब्ल्यू 1 श्यामलाल, पी.डब्ल्यू 2 बद्रीलाल का शपथ–पत्र पेश किया गया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नंबर 1 :– आया कि वाद पत्र की मद नंबर 1 मे वर्णित आराजी वाके ग्राम हरनावदा जागी के खसरा नंबर 133 रकबा 3.18 बीघा भूमि पर वादी का पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से निरन्त बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादी

तनकी नंबर 2 :– आया कि उक्त विवादित आराजी मे से 2 बीघा भूमि 1975 में गैर खातेदारी म द करा दी, तथा शेष 1.18 बीघा भूमि पर आज ही बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ र है, जिसमे वादी की 2 दुकाने व कच्चा कमरा बना हुआ है। वादी कब्जे के आधार पर व आवटन आधार पर भूमि खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

वा

तनकी नंबर 3 :– आया कि उक्त आराजी के आंवटन निरस्त कराने बाबत् तहसीलदार छीपाब द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां के यहां आंवटन निरस्त कराने कार्यवाही भू–आंवटन नियम 1970 उपनियम 14 (4) के तहत् की गई, जो दिनांक 14.10.2010 माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र नियम 1970 उपनियम 14 (4) खारिज किया गया, तथा आं बहाल रखा गया। वादी आंवटन के आधार पर भूमि खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

तनकी नंबर 4 :– आया कि विवादित आराजी मुताबिक रिकार्ड गैर मुमकिन खाल, सिवायचक सरकारी होने से खातेदारी अधिकार नही दिया जा सकता।

प्रति

तनकी नंबर 5 :– अनुतोष।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वा कथन है, कि प्रार्थी को खसरा नंबर 133 रकबा 3.18 बीघा भूमि आंवटन हुई थी। 2 बीघा भूमि दर्ज की गई, शेष 1.18 बीघा भूमि खाते दर्ज नही की गई। तहसीलदार छीपाबड़ौद ने माननीय

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां के यहां भू–आवटन नियम 1970 उपनियम 14 (4) की कार्यवाही की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 14.10.2010 को निर्णय पारित करते हुये प्रार्थना–पत्र भू आवटन नियम 1970 उपनियम 14 (4) खारिज किया गया तथा आवटन बहाल रखा गया तब से अब तक उक्त निर्णय की पालना नही की गई और न ही सरकार की ओर से किसी अन्य न्यायालय मे अपील पेश की गई। उक्त भूमि मेरे खाते दर्ज की जावे। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब मे भी भूमि सिवाय चक बतायी है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वादी के खातेदारी मे दर्ज की जावें।

पेरोकार सरकार का कथन है, कि विवादित भूमि कि किस्म गैर मुमकिन नाला है। इस पर खातेदारी अधिकार धारा 16 मे प्रतिबन्धित है। गैर मुमकिन नाले की भूमि के बारे मे माननीय उच्च्य न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम सरकार ने स्पष्ट कहा है, कि यदि भूमि किसी के नाम दर्ज हो गई है, तो पूर्व स्थिति पुनः बहाल की जावें। यह भूमि सन् 1955 से ही प्रतिबन्धित है। धारा 16 टेन्नेसी एक्ट मे वर्णित है। खातेदारी नही दी जा सकती। वाद खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी का कथन है, कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां का निर्णय 2010 का है। अब्दुल रहमान का निर्णय प्रभावित नही करता गत 7 वर्षो मे कोई अपील नही की। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय की पालना करावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकरान् सुनी गई। पत्रावली एव रिकार्ड का अध्योपान् अध्ययन किया गया। वादी के वाद का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

तनकी नंबर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी का था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्रा हरनावदा जागीर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा नंबर 133 रकबा 1.18 बी किस्म गैर मुमकिन खाल दर्ज है। नकल आंवटन आदेश दिनाक 27.01.1999 के अनुसार खसरा न 133 रकबा 1.18 बीघा वादी श्यामलाल पुत्र कान्हा जाति काछी को आंवटन किया जाना पाया जा है। नकल सनद् दिनांक 27.01.1999 के अनुसार खसरा नंबर 133 रकबा 1.18 बीघा वादी द्वारा ज कराई गई। इससे यह साबित होता है, कि आराजी खसरा नंबर 133 रकबा 1.18 बीघा वाके ग्र हरनावदा जागीर वादी श्यामलाल पुत्र कान्हा को दिनाक 27.01.1999 को आंवटित की गई थी। व का निरन्तर बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के आवटन के वि तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा भू–आंवटन नियम 1970 के उपनियम 14 (4) की कार्यवाही की माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज करते हुये आंवटन बहाल रखा गया। अतः यह त वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी हरनावदा जागीर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा नंबर 133 रकबा 1.18 बीघ मुमकिन खाल दर्ज है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे खसरा नंबर 133 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा बताया, जिसमें से 2 बीघा भूमि वादी के गैर खातेदारी मे दर्ज होना बताया। शेष बची भूमि 1.18 वर्तमान मे खाल खद्दर दर्ज है, जबकि प्रस्तुत आंवटन आदेश दिनांक 27.01.1999 से खसर 133 रकबा 1.18 बीघा वादी को आंवटित हुई थी। आवंटन के बाद से वादी के कब्जे काश्त आ रही है। उक्त भूमि के आंवटन निरस्त कराने के लिए तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां के यहां 14 (4) की कार्यवाही की गई, जो म

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

अपील प्रस्तुत नही की गई और न ही आंवटन आदेश की पालना की गई. वादी द्वारा आवटन की गई भूमि को खातेदारी मे दर्ज करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर आंवटन दिनांक 27.01.1999 की पालना माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारा के निर्णय दिनांक 14.10.2010 के आधार पर करने हेतु, यदि सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत नही की गई है, तो तहसीलदार छीपाबड़ौद को निर्देशित किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद के खसरा नंबर 133 रकबा 1.18 बीघा जो वादी को आंवटित भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां के निर्णय दिनांक 14.10.2010 के आधार पर पालना करने हेतु ,यदि सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नही की गई है, तो तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

द संख्या 17/2015 | धारा अन्तर्गत 88, RTA | निर्णय दिनांक 13.7.2017

मक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां

उपस्थिति : अभिभाषक वादी – श्री ललित कुमार शर्मा | अभिभाषक प्रतिवादी –

वाद शीर्षक

उनवान

श्यामलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी निवासी हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हरनावदा जागी
तहसील छीपाबडौद के खसरा नंबर 133 रकबा 1.18 बीघा जो वादी को आवटित भूमि के सम्बन्ध
माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां के निर्णय दिनांक 14.10.2010 के आधार प
पालना करने हेतु ,यदि सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नही की गई है, तो तहसीलदार छीपाबडौद क
आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13-7-2017 को निर्गत किया गया।

कार्यालय उपजिला कलक्टर छीपाबड़ौद जिला

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		